संख्या– /33–3–2025

प्रेषक,

राजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनॉकः अप्रैल, 2025

विषयः– दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के आयोजन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या J-11011/4/2024-Media दिनॉक 16 अप्रैल, 2025 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के आयोजन के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाओं (पी0आर0आई0) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने तथा त्रिस्तरीय पंचायतों की ग्रामीण विकास में भूमिका को प्रभावी रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर विभिन्न समुदाय आधारित गतिविधियॉ संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश की पंचायत को संबोधित किए जाने हेतु सजीव प्रसारण की व्यवस्था किये जाने की भी अपेक्षा भारत सरकार द्वारा की गयी है।

2– उक्त के संबंध में दिनांक 24 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायतों (जिला, क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत) द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियां संचालित किया जाना है, जो निम्नवत हैः–

(1) उक्त कार्यक्रम हेतु जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

(2) जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर विशेष ग्राम सभा/गोष्ठी का आयोजन किया जाये तथा उक्त कार्यक्रम में मा0 जनप्रतिनिधि/पंचायत सदस्यों तथा सहयोगी विकास विभाग को पूर्व से ही आमंत्रित किया जाये।

(3) इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली पंचायतों को यथावश्यक सम्मानित किया जाये।

(4) प्रत्येक स्तर पर उक्त आयोजन हेतु स्थल का चयन, प्रतिभागियों के बैठने की व्यवस्था के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सजीव प्रसारण को सुनने/देखने की व्यवस्था किया जाना।

(5) कार्यक्रम में समुदाय आधारित गतिविधियों यथा आपदा प्रबन्धन–लू के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक व्यवस्थायें एवं जागरूकता पर चर्चा के साथ गर्मी के मौसम में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता व स्वच्छता अभियान का संचालन आदि गतिविधियों का संचालन किया जाये।

(6) उक्त कार्यक्रम के आयोजन में आने वाले व्यय का वहन त्रिस्तरीय पंचायतों के स्वयं के आय के स्त्रोतों अथवा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य ग्रामीण विकास की योजनाओं से (रू0 1000 प्रति ग्राम पंचायत, रू0 10,000 प्रति विकास खण्ड एवं रू0 25000/— जनपद तक) किया जा सकता है।

(7) त्रिस्तरीय पंचायतों की ग्रामीण विकास में भूमिका को प्रभावी रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर भारत सरकार, राज्य सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग किया जाये एवं उक्त दिवस के आयोजन को एक अभियान के रूप में संचालित करते हुए समन्वित प्रयास किये जाये।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतों में दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को पंचायती राज दिवस के आयोजन के संबंध में मा0 प्रधानमंत्री जी के सजीव प्रसारण को व्यापक रूप से पहुँचाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने के साथ ही सभी जनपद स्तरीय पोर्टल एवं सोशल मीडिया में उक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कार्यक्रम पश्चात् आयोजित सभाओं, प्रतिभागियों की संख्या एवं गतिविधियों के विवरण की रिपोर्टिंग जनपद के माध्यम से विभागीय ई—मेल up.panchayatiraj@gmail.com पर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धितों को निर्देश करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Rajesh Kumar Tyagi
Date: 22-04-2025 16:04:46

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांकः— तदैव।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या J-11011/4/2024-Media दिनॉक 16 अप्रैल, 2025 के क्रम में।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. अधिशासी अभियन्ता, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ.प्र.।
8. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ.प्र.।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Jai Prakash Pandey
Date: 22-04-2025 16:47:03

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Amit Srivastava